

16th July, 2021

BSE Limited, Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai –400 001

Scrip Code: 505729

Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and in compliance with circular No. 20/2020 dated May 5,2020 and Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs, we are enclosing the scan copies of advertisement published in 'Indian Express' (English) and 'Jansatta' (Hindi) on 16th July, 2021 inter alia, intimating that 43rd Annual General Meeting of the Company will be held on Thursday, 23rd September, 2021 at 3:00 PM (IST) through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) and matters related thereto.

We request you to kindly take the same on record.

Thanking You.

Yours faithfully

For Singer India Limited

Priyanka Gandhi Company Secretary

Encl: As above

FAMILY

Abedin's brother Imdadul Haque

Baksa district area on April 26 and sold them in Bihar's

cows and had the papers for them so my father went to the will only be an increase of such incidents."

Khatanga Pakartoli i lica said.

There may be / illegitimate parents, but no illegitimate kids: Karnataka HC

EXPRESSNEWS SERVICE

BENGALURU, JULY 15

RELYING on a 2019 Supreme Court order, the Karnataka High Court has ruled that children from marriages with no legitimacy under the Hindu personal law are eligible for jobs on compassionate grounds.

Considering the Supreme Court ruling in the 2019 V R Tripathi case, along with Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955 and provisions of the Special Marriage Act, 1954, which confer legitimacy on children from illegitimate marriages, a division bench of the high court observed that all children – irrespective of the personal laws governing the marriage of their parents – should be eligible for jobs on compassionate grounds.

The bench of Justices B V Nagarathna and Hanchate Sanjeev Kumar made the ruling and observations in the course of an appeal filed by a youth seeking a job with the Karnataka Power Transmission Corporation Limited on compassionate grounds following the death of his father, a KPTCL employee, in 2014.

The job was denied on the grounds that he was born to the second wife of the employee and on account of the second marriage occurring while a first marriage was in still existence.

The High Court, while ordering KPTCL to consider the youth's job application, quashed a KPTCL circular of September 2011, which said that a second wife or her children are not eligible for compassionate appointments "if a marriage has taken place during the subsistence of a first marriage".

"A child has no role to play in his/her birth, Hence, law should recognise the fact that there may be illegitimate parents, but no illegitimate children. Therefore, it is for Parliament to bring about uniformity in law vis-à-vis legitimacy of children," the court observed in its recent order.

"The judgment in V R Tripathi is in the context of Section 16 of the Hindu Marriage Act, 1955, which is the personal law of Hindus concerning, inter alia, validity of a Hindu marriage. But, in this case, we are concerned with regard to the right of a child born out of a void marriage irrespective of the personal law under which the marriage might have taken place to seek appointment on a compassionate basis," the court said.

"In our view, conferring legitimacy is, not only under the Hindu Marriage Act, which is the personal law for Hindus, but such legitimacy is also conferred to the children born out of void or voidable marriages solemnised under the provisions of the Special Marriage Act, 1954," it said.

SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

Regd. Office & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail: secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, Website: www.singerindia.net

NOTICE OF 43RD ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 43rd Annual General Meeting (AGM) of the Company scheduled to be held on Thursday, 23rd September, 2021 at 03:00 P.M. (IST) through Video Conferencing ("VC")/Other Audio Visual Means("OAVM") incompliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020 and 02/2021 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020 and Jan 13,2021 respectively ("MCA Circulars"), Circular dated May 12, 2020 and Jan 15, 2021 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the Notice of AGM.

In Compliance with the above-mentioned Circulars, the Notice of 43rd AGM and Annual Report for the Financial Year 2020-21 will be sent electronically by the Company to those Members who have registered their email IDs with the Company/ M/s MCS Share Transfer Agents Ltd. ("RTA") and Depository Participant(s) ("Depository"). As per the MCA circular/s and the SEBI circulars no physical/hard copies of the Notice of AGM and Annual Report will be sent to any Member. The Notice of AGM and Annual Report will also be available at the website of the Company (www.singerindla.net) and at BSE Limited (www.singerindla.net) and at

Detailed instructions for attending the AGM and casting votes through Remote e-voting and e-voting at the AGM is being provided in the Notice of 43rd AGM.

Further, Members of the Company who have not registered their e-mail addresses can also attend the AGM and vote by following the procedure being provided in the Notice of AGM. The Members of the Company who have not registered their email addresses can register the same as per the following procedure:

- Members holding shares in physical form may get their email ids registered by submitting necessary details like Folio No., Name of shareholder along with scanned copy of valid share certificate (front and back both), PAN card (self attested copy), AADHAR card (self attested copy), email id and mobile number by email to Company at secretarial@singerindia.net /RTA email id at bonds@mcsregistrars.com & admin@mcsregistrars.com
- 2. Members holding shares in dematerialized form may also temporarily get their e-mail id registered by providing the Demat account details (CDSL-16 digits beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN card (self attested copy), AADHAR card (self attested copy) to Company at secretarial@singerindia.net / RTA email id at bonds@mcsregistrars.com & admin@mcsregistrars.com. It is clarified that for permanent registration of email address, the Members are requested to register the same with their respective Depository Participant.

Members are requested to update their complete bank details with their depositories (where shares are held in demat mode) and update with Company's RTA (where shares are held in physical form) by providing signed request letter with folio no., self-attested cancelled cheque leaf, PAN card (self attested copy), AADHAR card (self attested copy) to receive the dividend directly into their bank account. Pursuant to Finance Act, 2020, mandates that dividend paid or distributed by a company on or after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of Members. The Company shall therefore be required to deduct tax at source (TDS) at the time of making the payment of final dividend at the prescribed rates. For prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act; 2020 and the amendments thereof.

The members are requested to update their PAN with the Depository Participant (if shares are in demat mode) and RTA (if shares are in physical form).

This Notice is being issued for the information and benefit of all the members of the Company in compliance with the applicable Circulars of MCA and SEBI.

Place: New Delhi

Date: 15.07.2021

For SINGER INDIA LIMITED

Sd/-Priyanka Gandhi Company Secretary

YES B

Whereas, The undersig of Financial / section 13(12 December 1 Mortgagors Krishan Ahu Mrs. Sunita to repay the Lacs Eighty plus accrued charges, etc.

The Borrow Borrower/M Officer of **YE** of powers co Interest (Enf

The Borrow not to deal YES BANK Li Thousand E interest/unre till the date of

The Borrowe the Act, in re

All that pie Rajouri Gar Vaneet Kur

Date: 12th July Place: New D

मांग सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (उक्त नियमावली) के नियम 3(1) के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकर एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की घारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली 🕉 नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक अधिनियम की चारा 13(2) के क्षंतर्गत मांग सूचना जारी कर ऋणधारकों को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सूचना(ऑ) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक चार पनः एतदद्वारा ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सूचना की तिथि से भुगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋणधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिये प्रस्तावित प्रतिभूति का विवरण इस प्रकार है:

ऋणधारको/गारन्टसे	मांग सूचना तिथि।	प्रतिभृत परिसम्पति (अचल सम्पति)
का नाम	एवं सीत	का विजला
श्री अशोक बंसल श्री सरोग (प्रॉस्पेक्ट नं. 886170 एवं 871828)	रु. 5,53,018.00 (रु. पाँच लाख तिद्रेपन हजार अठारह मात्र)प्रॉस्पेक्ट सं. 871828, रु. 54,10,799.00 (रु. चीवन	 निर्मित बेस्मेन्ट एवं पुत्तन, पूं क्ल पर एक शॉप को ओड़कर (माप 10 x 20 पर्ग परेट), तीरत तत के उपसे सम्पण्डि टेंद्र आधिकार के आधा, कुल मार 141,67 जोर्ग मी, असरा ने 4.50 में प्रमाणित जो द्वारकाबाद एक्सर्टे., नई दिल्ली-10019 में मिलत है, का सभी भाग तथा हिस्सा 2. निर्मित सम्पणि थं. आरजेड-994, गली में 23, तुगतकाबाद एक्सर्टें,, नई दिल्ली- 10019 में मिलत है का सभी भाग तथा हिस्सा।

यदि उक्त ऋणधारक उपरोक्त रूप में आईआईएफएल एचएफएल को भुगतान करने में विफल होते हैं तो आईआईएफएल एचएफएल ऋणधारकों की जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभूत परिसम्पतियों के विरुद्ध कारवाई करेगा। अधिक विवरणों के लिये कृपयों शाखा कार्यालयः प्लॉट नं, 30/30ई, ऊपरी भू तल, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के सामने, मोतीनगर, नई दिल्ली अथवा कॉर्पोरेट कार्यालयः आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98 उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें।

स्थान : दिल्ली, तिथि : 16.7.2021 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लिये

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 CIN: L51909DL1983PLC015585, टेली.: 011-41426055.

इंमेलः vkgandhi@ambintl.in, वेबसाईटः www.abmintl.in

प्रदत्त इविवाटी शेयर पूंजी में कटौती की सूचना

(सीपी-15/एनडी/2021 , कम्पनी अधिनियम, 2013) की धारा 66 के अंतर्गत माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ "एनसीएलटी" ने अपने आदेश तिथि 6 जुलाई, 2021 के माध्यम से यहां नीचे निर्दिष्ट विवरणी को स्वीकार कर कम्पनी की "शेयर पूंजी में कटौती" की स्वीकृति दी है:

'एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड की प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी अब से रु. 10/- पूर्णतः प्रदत्त के 94,08,000 इविवटी शेयरों में विभाजित रू. 9,40,80,000/- होगी। इस विवरणी के पंजीकरण की तिथि पूंजी की कटौती से पूर्व) विशिष्ट सं. 1 से 1,17,60,000 के अंतर्गत रु. 10/-प्रति के 1,17,60,000 इक्विटी शेयर्स निर्गत किये गये हैं जिसे पूर्णतः पदत्त माना गया है'

यह विज्ञापन उसके आदेश तिथि 6 जुलाई, 2021 में एनसीएलटी के निर्देशानुसार प्रकाशित की जा रही है। पुनः उक्त आदेश की प्रकाशित प्रति कम्पनी द्वारा 14 जुलाई, 2021 को कम्पनी रजिस्टार, दिल्ली एवं हरियाणा के पास दाखिल की गई थी।

एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड के लिये

विरेन्दर कमार गांधी

तिथि: 15 जुलाई, 2021 स्थानः नई दिल्ली

(प्रबंध निदेशक) DIN: 00244762

FORM WIN 6

[See Rule 7]

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL BENCH AT NEW DELHI

IN THE MATTER OF BWI AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED (Company incorporated under Companies Act, 1956)

Petition No. CP-85(ND) of 2021

BWI AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITEDPetitioner

Advertisement of petition

Notice is hereby given that a petition for the winding up of the above-named company by the Hon'ble National Company Law Tribunal (Court - III) at New Delhi was, on the day of July 2, 2021, presented to the said Hon'ble Tribunal by the said company and that the said petition is directed to be heard before the Hon'ble Tribunal on the day of August 24, 2021 Any contributory or other person desirous of supporting or opposing the making of an order on the said petition should send to the petitioner or his representative notice of his intention signed by him or his representative with his name and address so as to reach the petitioner or his representative not later than five days before the date fixed for the hearing of the petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his representative. A copy of the petition shall be furnished by the undersigned to any creditor or contributory on payment of the prescribed charges for the same. Any affidavit intended to be used in opposition to the petition should be filed in the Hon'ble Tribunal and a copy served on the petitioner or his representative not less than five days before the date fixed for the hearing.

Representative for Petitioner Rakesh Kumar Neerai Prakash Chadha & Co.

Advocates and Legal-Consultants S-327, Greater Kailash II, New Delhi-110048 Tel.: +91 11 4383 0000, Email: info@chadha-co.com

सिंगर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालयः ए-26/4, द्वतीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110044

टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री नं0. 1800-103-3474

ई-मेलः secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, वेबसाइटः www.singerindia.net

43वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के साथ पठित समान्य परिपत्र सं. 14/2020, 17/2020, 20/2020 तथा 02/2021 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 5 मई, 2020 तथा 13 जनवरी, 2021 ("एमसीए परिपत्र"), भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी क्रिया गया परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 एवं 15 जनवरी, 2021 के अनुपालन में एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसाय के निष्पादन के लिए कंपनी की 43वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बृहस्पतिवार, 23 मितान्य, 2021 को अप. 3.00 बर्ज (बाईएसटी) में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विडियो माध्यमों ("ओएवीएम") के द्वारा आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त वर्णित परिपत्रों के अनुपालन में, 43वीं एजीएम की सचना और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिपोर्ट कंपनी द्वारा उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी / मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट्स लि. ("आरटीए") और डिपॉजिटरी प्रतिमागी ("डिपॉजिटरी") के पास पंजीकृत हैं। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार 43वीं एजीएम की सूचना एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक / हार्ड प्रतियां किसी भी सदस्य को नहीं भेजी जाएगी। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट (www.singerindia.net) और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट (www.bseindia.com) पर भी उपलब्ध होगी।

एजीएम में माग लेने एवं रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट देने तथा एजीएम में ई-वोटिंग के लिए विस्तृत दिशानिर्देश 43वीं एजीएम की सूचना में दिये जा रहे हैं।

इसके अलावा, कंपनी के सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं और एजीएम की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट दे सकते हैं।

कंपनी के सदस्य जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं कराये है, वे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करके इसे पंजीकत करा सकते हैं:

- फिजिकल प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नं.. वैध शेयर प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे दोनों) की स्कैन की गई प्रति के साथ शेयरधारक का नाम, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आघार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर को कंपनी के ई-मेलः secretarial@singerindia.net / आरटीए के ई-मेल bonds@mcsregistrars.com व admin@mcsregistrars.com पर भेजकर अपना ई-मेल आईडी पंजीकत करा सकते हैं।
- डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण मी अपना डिमेट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंकों का लामार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंकों का डीपीआईडी+सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) को कंपनी के ई-मेलः secretarial@singerindla.net / आरटीए के ई-मेल bonds@mcsregistrars.com व admin@mcsregistrars.com पर व मेजकर अस्थाई रूप से अपना ई-मेल आईडी पंजीकृत करा सकते हैं। यह स्पृष्ट किया जाता है कि ई-मेल पते के स्थाई पंजीकरण के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे इसे अपने डिपॉजिटरी प्रतिमागी के पास पंजीकृत कराएं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे सीधे अपने बैंक खाते में लामांश प्राप्त करने के लिए अपने डिपॉजिटरीज (जहां शेयर डिमेट प्रारूप में धारित हैं) के साथ अपना परा बैंक विवरण अपडेट कराएं और फोलियो नं., स्व-सत्यापित निरस्त चेक, पैन कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति), आधार कार्ड (स्व-सत्यापित प्रति) के साथ हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र देकर कंपनी के आरटीए (जहां शेयर भौतिक प्रारूप में घारित हैं) के पास अपडेट कराएं। वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसरण में यह अनिवार्य किया गया है कि 1 अप्रैल, 2020 को या उसके बाद कंपनी द्वारा भगतान किया गया या वितरित किया गया लामांश सदस्यों की ओर करयोग्य होगा। इस प्रकार कंपनी को अंतिम लामांश का भूगतान करते समय निर्धारित दरों पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटना होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्घारित दरों के लिए शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे वित्त अधिनियम, 2020 और उसके किये गये संशोधनों का अवलोकन करें।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे डिपॉजिटरी मागीदार (यदि शेयर डिमेट प्रारूप में है) और आरटीए (यदि शेयर मौतिक प्रारूप में है) के साथ अपना पैन अपडेट करें।

यह सूचना एमसीए एवं सेबी के लागू परिपत्रों के अनुपालन में कंपनी के सभी सदस्यों के लिए सूचना एवं लाभ के लिए जारी की जा रही है।

> कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड हस्ता /-

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 15.07.2021 प्रियंका गांधी कंपनी सचिव

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance advertising copy, it is not possible to verify its contants. The Indian Express (P) Limited cannot contants. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals adversing in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever advertisement in any manner whatsoever.



फिनकॉर्प लिमिटेड

सीआईएन :U74899DL1991PLC046774

"परिशिष्ट-IV-ए" [नियम ४(६) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्ति की बिक्की हेत विक्रय सचना

प्रतिभृत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम s(6) के साथ पठित वितीय परिसम्पतियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफाएशी अधिनियम, 2002) के सन्दर्भ में अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(सें) को सुचना दी जाती है कि प्रतिभृत लेनदार (हीरी फिनकार्प लिमिटेड) के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा प्रतिभृत

ORE DEBTS RECOVERY TRIBBUNAL DELHI(DRT 3)
OR JEEWAN TARA BULLDING PARLAMENT STREET,
NEW DELHI: 110001 OA. NO. OA/15/2019
for all, exclon (4) of section 13 of the Act, read with sub-rule
of the Debts Recovery Tribunal (Procedure), Rules, 1983.
Edst. No.:2319.

ICICI BANK LTD.........APPLICANT
VERSUS MIS SHREE LAXMI INDUSTRIES (INDIA) DATTA

Neger, nit, feridabed-121001, Herayana. Faridabed, Harya Also At.: Nh-117/5, Nit Faridabed, Haryana —121001 SUMMONS WHEREAS, OA/715/2019 was listed before Honble Pre

use within thirty days of the service of summons as to why

ation shall be heard and decided in your absence hand and seel of this Tribunal on this the date 20 Signature of the Authorised to issue su

P#DMED

पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड

पंजी. कार्याः 232-बी, तृतीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज-III, नई दिल्ली-110020 सीआईएनः L40300DL1995PLC066923 फोनः 011-33550700, फैक्सः 011-26321894

ईमेलः investorcare@polymedicure.com वेबसाइटः www.polymedicure.com

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि मारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में, कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 29 जुलाई, 2021 को अन्य बातों के साथ आयोजित की जाएगी

- सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएं विनियम 33 के अनुसार, 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कंसोलिडेटेड अनंकेक्षित आईएनडी-एएस के अनुरूप वित्तीय परिणामों के साथ सीमित समीक्षा रिपोर्ट पर विचार और अनुमोदन हेतु।
- किसी भी अन्य मामलों को संचालित करने के लिए जो बोर्ड उचित समझे।

कृते पॉलि मेडिक्योर लिमिटेड

स्थानः नई दिल्ली

हस्ता./-अविनाश चंद्रा कंपनी सचिव

केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र, के समक्ष

कम्पनी अधिनियम 2013, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 (4) तथा कम्पनी (निगमन) पांचवा संशोधन नियमावली, 2019 के नियम 30 तथा लागू होने वाले अन्य प्रावधानों के मामले में

मै, जैनसन्स हबों लैब्स प्राईवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय है: 458-466, एफएफ, गली नं. 8, शम्भूनाथ कम्पाउण्ड, फ्रैंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी.रोड, शाहदरा दिल्ली-110095, भारत

एतद्द्वारा आमं जनता को सूचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तराखंड राज्य" में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तितं करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 5 जुलाई, 2021 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे उसके नीचे वर्णित पते पर उसके पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति शाखा कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, शाखा बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003, में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें: 458-466, एफएफ, गली नं. ८, शम्भु नाथ कम्पाउण्ड, फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया, जी.टी.रोड, शाहदरा दिल्ली-110095, भारत

> कृते एवं के लिये मै. जैनसन्स हर्बो लैब्स प्राईवेट लिमिटेड हस्ता./-

पंकज जैन